राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः—एफ.1(2)आ.प्र.एवं सहा./रा.रा.के./2024/ 6976-984 जयपुर,दिनांक 23-12-24

समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषयः— खुले एवं परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल से होने वाले हादसों की रोकथाम के संबंध में।
प्रसंगः— इस विभाग का पत्र कमांक 12630—767 दि. 01.12.2011, 11593—98 दिनांक 13.08.2013, 12768—813 दिनांक 10.11.2015 एवं 9643—51 दिनांक 04.08.2022 के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राज्य में खुले बोरवैलों में बच्चों के गिरने की निरन्तर दुर्घटनाऐं घटित हो रही हैं, इन दुर्घटनाओ में कई मासूमों को जान गवानी पड़ी तथा राज्य सरकार को अनावश्यक वित्तीय भार भी वहन करना पड़ा है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति नही हो, इस सम्बंध में समय—समय पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को ठोस कार्यवाही के लिये पाबन्द किये जाने हेतु निर्देश दिये हुए है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या Writ Petition No. 36 of 2009 में अपने निर्णय दिनांक 11.02.2010 द्वारा भी सभी राज्यों को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करते हुए खुले एवं परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल को तुरन्त बन्द करने तथा उनकी अक्षरशः पालना की अपेक्षा की है, निर्णय की पालना में राज्य सरकार के भूजल विभाग द्वारा भी अपने पत्र कमांक F-12(6)GWD/09 दिनांक 19.02.2010 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश सभी सम्बन्धित को जारी किये गये।

हाल में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश कमांकः 703 दिनांक 13.12.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा उक्त निर्देशों के कम में राज्य में खुले एवं परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल में छोटे बच्चो के गिरने की निरन्तर दुर्घटनाओं पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बंधित कार्यालयों को लिखा गया है। साथ ही इस संबंध में राज्य स्तर पर हैल्पलाईन की स्थापना की गयी है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

1. टेलीफोन नम्बर 0141—2759903 (एसडीआरएफ कन्ट्रोल रूम जयपुर)
2. मोबाईल नम्बर 8764873114 सीयूजी नम्बर (Whatsapp No.)

अतः उपरोक्त निर्देशों की पालना में आपके अधीनस्थ सम्बंधित कार्यालय/अधिकारीगणों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए खुले बोरवेल कम्पनी/मालिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने एवं इस पर होने वाले समस्त व्यय की वसूली किये जाने सहित भविष्य में राज्य में ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो तथा मानवीय श्रम एवं संसाधनो का अपव्यय न हो, इस संबंध में निरन्तर हो रही दुर्घटनाओं को मध्यनजर रखते हुए अपने क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत, पटवारी तहसीलदार, नगरीय निकायों को पाबन्द करते हुए परित्यक्त बोरवेल/ट्यूबवेल व खुले कुओं को बन्द कराने की ठोस कार्यवाही कराये जाने तथा इस संबंध में आपके जिले की उपरोक्त आशय की रिपोर्ट एक सप्ताह में अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.20 14:34:29 IST
Reason: Approved

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान बल, राजस्थान जयपुर।
5. कमाण्डेन्ट, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान जयपुर को उनके सन्दर्भित आदेश के कम में।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, भू–जल विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. कार्यालय प्रति।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.20 14:34:29 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12547889